राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2406/2025

महावीर प्रसाद **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.04.2025
आदेश की दिनांक : 09.04.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री जितेश कुमावत, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति दैनिक वेतन भोगी के आधार पर दिनांक 14.02.1985 को कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कोटा में हुई थी और अपीलार्थी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमित वेतनमान 750–940 पर आदेश दिनांक 31.03.1993 के द्वारा स्थायी किया गया था और अपीलार्थी दिनांक 30.11.2022 को सेवानिवृत्त हो गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी की सेवायें प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक से नहीं मानते हुये उसे सेवा आदि का लाभ नहीं दिये गये जबकि अपीलार्थी प्रथम नियुक्ति दिनांक 22.02.1985 से ही समस्त सेवा लाभ प्राप्त करने का हकदार है। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में विभाग को अनेक अभ्यावेदन प्रस्तुत किये, परंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित करते हुये अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत

करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर अपीलार्थी की सेवायें दिनांक 14.02.1985 से मानते हुये समस्त सेवा लाभ प्रदान किये जायें तथा शेष राशि सहित समस्त पेंशन आदि को रिवाईज करते हुये मय ब्याज दिये जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों को ध्यान में रखते हुये आगामी एक माह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

अतः उक्त अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)